भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या5281

जिसका उत्तर 02अप्रैल, 2025 को दिया जाना है ।

12चैत्र, 1947 (शक)

ऑनलाइन गेमिंग और बेटिंग प्लेटफार्मों द्वारा काले धन को वैध बनाना

5281. श्री चव्हाण रविन्द्र वसंतराव:
श्री सुधीर गुप्ता:
श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में ऑनलाइन गेमिंग और बेटिंग का नेटवर्क गंभीर रूप ले चुका है और डिजिटल इंडिया फाउंडेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार इस अवैध उद्योग द्वारा प्रति वर्ष 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का लेन-देन पार कर लिए जाने का अनुमान है और यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) क्या रिपोर्ट में ऑनलाइन गेमिंग और बेटिंग उद्योग के विरुद्ध संघर्ष के लिए सरकार और गूगल तथा मेटा जैसी बड़ी टेक कंपनियों के बीच संयुक्त सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ऑनलाइन गेमिंग और बेटिंग प्लेटफार्म काले धन को वैध बनाने और कई अन्य अवैध गतिविधियों में भी लिप्त हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इन प्लेटफार्मों पर लगाम लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या ऐसे 600 से अधिक प्लेटफार्म विदेश से संचालित हो रहे हैं और प्रत्यक्ष रूप से जीएसटी की चोरी में संलिप्त हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उन्हें विनियमित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क) से **(च):**"सट्टेबाजी और जुआ" भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II (राज्य सूची) की प्रविष्टि 34 के तहत एक राज्य विषय है और राज्य विधान सट्टेबाजी और जुआ से संबंधित अपराधों को परिभाषित करते हैं। इसलिए, संविधान के अनुच्छेद 162 के साथ अनुच्छेद 246 के प्रावधानों के अनुसार, राज्य विधानसभाओं को सट्टेबाजी और जुआ से संबंधित मामलों पर कानून बनाने का अधिकार है।

इसके अलावा, भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार 'पुलिस' और 'सार्वजनिक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र मुख्य रूप से अपने कानून प्रवर्तन एजेंसियों (एलईए) के माध्यम से अवैध सट्टेबाजी और जुए पर कार्रवाई सहित अपराधों की रोकथाम, पता लगाने, जांच और अभियोजन के लिए जिम्मेदार हैं।

तदनुसार, राज्य पुलिस विभाग अवैध सट्टेबाजी और जुए के संबंध में कानून के अनुसार निवारक और दंडात्मक कार्रवाई करते हैं। केंद्र सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की पहलों को उनके एलईए की क्षमता निर्माण के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत सलाह और वित्तीय सहायता के माध्यम से पूरक बनाती है।

केन्द्र सरकार की नीतियों का उद्देश्य अपने उपयोगकर्ताओं के लिए खुला, सुरक्षित, विश्वसनीय और जवाबदेह इंटरनेट सुनिश्चित करना है।इस लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता के लिए, केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग, सट्टेबाजी और जुआ संचालन से उत्पन्न जोखिमों और इससे संबंधित संभावित नुकसान और अवैध गतिविधियों जैसे लत, वित्तीय नुकसान, वित्तीय धोखाधड़ी, धन शोधन और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों से निपटने के लिए उपयुक्त कदम उठाए हैं।
भारत और भारतीय इंटरनेट में उपयोगकर्ताओं को प्रौद्योगिकियों के दुरुपयोग से उत्पन्न होने वाले नुकसान से बचाने और देश के कानून के प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ("एमईआईटीवाई") प्रौद्योगिकियों के नैतिक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए नियमित रूप से उद्योग के साथ जुड़ता है और उनसे इनपुट प्राप्त करता है।

केंद्र सरकार ने संबंधित हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के बाद ऑनलाइन गेम से उत्पन्न होने वाली विभिन्न सामाजिक-आर्थिक चिंताओं को दूर करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 ("आईटी अधिनियम") के तहत सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 ("आईटी नियम, 2021") में संशोधनों को अधिसूचित किया।

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय समय-समय पर मध्यस्थों को यह याद दिलाता रहता है कि वे अपने प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराई गई गैरकानूनी गतिविधियों/सूचनाओं से निपटने के लिए आईटी अधिनियम और आईटी नियम, 2021 के तहत अपनी उचित सावधानी संबंधी आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करें ।

आईटी नियम, 2021 सोशल मीडिया मध्यस्थों और ऑनलाइन गेमिंग मध्यस्थों सहित मध्यस्थों पर विशिष्ट दायित्व डालता है। मध्यस्थों को किसी भी कानून का उल्लंघन करने वाली किसी भी जानकारी को होस्ट, स्टोर या प्रकाशित नहीं करना चाहिए। उन्हें अपनी जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए भी बाध्य किया जाता है, जिसमें सरकार के आदेश के खिलाफ या किसी भी गैरकानूनी जानकारी के खिलाफ प्राप्त शिकायतों के आधार पर आईटी नियम, 2021 के तहत वर्गीकृत गैरकानूनी जानकारी को हटाने की दिशा में उनकी त्वरित कार्रवाई शामिल है। ऐसी गैरकानूनी जानकारी में ऐसी कोई भी जानकारी शामिल है जो अन्य बातों के अलावा, बच्चों के लिए हानिकारक है या जो मनी लॉन्ड्रिंग या जुए से संबंधित है या उसे प्रोत्साहित करती है, या जो गलत सूचना है, स्पष्ट रूप से झूठी जानकारी है, प्रकृति में असत्य या भ्रामक है, या जो भारत की एकता, अखंडता, रक्षा, सुरक्षा या संप्रभुता, सार्वजनिक व्यवस्था को खतरा पहुंचाती है, या जो वर्तमान में लागू किसी कानून का उल्लंघन करती है।

भारतीय न्याय संहिता, 2023 (“बीएनएस”) की धारा 112(1)जो 1 जुलाई, 2024 से लागू होगी, अनधिकृत सट्टेबाजी और जुए के लिए न्यूनतम 1 वर्ष के कारावास की सजा देती है जिसे 7 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र में आयकर लगाने में निश्चितता लाने के लिए, सरकार ने वित्त अधिनियम, 2023 के तहत कर निर्धारण वर्ष 2024-25 से ऑनलाइन गेम में शुद्ध जीत पर तीस प्रतिशत की दर से आयकर लागू किया है।

इसके अलावा, सरकार ने 1 अक्टूबर, 2023 से ऑनलाइन गेमिंग पर 28% की दर से जीएसटी लागू किया है। ऑनलाइन मनी गेमिंग के आपूर्तिकर्ता को एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (“आईजीएसटी अधिनियम”) में संदर्भित सरलीकृत पंजीकरण योजना के तहत एकल पंजीकरण प्राप्त करना होगा।

ऑफशोर ऑनलाइन मनी गेमिंग के आपूर्तिकर्ताओं को भी आईजीएसटी अधिनियम के तहत विनियमित किया जा रहा है।

जीएसटी खुफिया मुख्यालय महानिदेशालय ("डीजीजीआई") को आईटी अधिनियम और आईजीएसटी अधिनियम के तहत उपयुक्त सरकार/एजेंसी के रूप में अधिकार प्राप्त है कि वह आईजीएसटी अधिनियम का

उल्लंघन करने वाले अपतटीय ऑनलाइन मनी गेमिंग प्लेटफार्मों सहित अपंजीकृत ऑनलाइन मनी गेमिंग प्लेटफार्मों को अवरुद्ध करने के लिए मध्यस्थों को निर्देश दे।

इसके अलावा, आईटी अधिनियम में संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों या सार्वजनिक व्यवस्था के हित में या सूचना प्रौद्योगिकी (सार्वजनिक रूप से सूचना तक पहुंच को अवरुद्ध करने के लिए प्रक्रिया और सुरक्षा उपाय) नियम, 2009 में परिकल्पित उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए उपरोक्त से संबंधित किसी भी संज्ञेय अपराध के कमीशन को रोकने के लिए विशिष्ट सूचना / लिंक तक पहुंच को अवरुद्ध करने के लिए मध्यस्थों को अवरोधन आदेश जारी करने का प्रावधान है।

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने वर्ष 2022-25 (फरवरी, 2025 तक) के बीच ऑनलाइन सट्टेबाजी/जुआ/गेमिंग वेबसाइटों (मोबाइल एप्लिकेशन सहित) से संबंधित 1410 अवरोधन निर्देश जारी किए हैं।

डीजीजीआई ऑनलाइन मनी गेमिंग/सट्टेबाजी/जुआ की आपूर्ति में शामिल अपतटीय संस्थाओं की भी जांच कर रहा है। अब तक, डीजीजीआई ने आईटी अधिनियम के तहत, एमईआईटीवाई के साथ समन्वय में, अवैध/गैर-अनुपालन वाले अपतटीय ऑनलाइन मनी गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म की 357 वेबसाइट/यूआरएल को ब्लॉक कर दिया है । दो अन्य अलग-अलग मामलों में, डीजीजीआई ने सामूहिक रूप से लगभग 2,400 बैंक खातों को ब्लॉक कर दिया है और लगभग 126 करोड़ रुपये फ्रीज कर दिए हैं । डीजीजीआई ने लोगों को सतर्क रहने और अपतटीय ऑनलाइन मनी गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म से जुड़ने से बचने की सलाह दी है।

गृह मंत्रालय ने साइबर अपराधों से व्यापक और समन्वित तरीके से निपटने के लिए एलईए को एक ढांचा और पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करने हेतु भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ("आई4सी") की स्थापना की है।

गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (https://cybercrime.gov.in) भी लॉन्च किया है, ताकि आम जनता साइबर वित्तीय धोखाधड़ी सहित सभी प्रकार के साइबर अपराधों की रिपोर्ट कर सके। इस पोर्टल पर रिपोर्ट की गई साइबर अपराध की घटनाओं को कानून के प्रावधानों के अनुसार आगे की कार्यवाही के लिए संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की कानून प्रवर्तन एजेंसी को भेजा जाता है। पोर्टल में वित्तीय धोखाधड़ी से संबंधित शिकायतें दर्ज करने के लिए अलग-अलग उपाय हैं।

ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने में सहायता के लिए एक टोलफ्री हेल्पलाइन नंबर '1930' शुरू किया गया है।

इसके अलावा, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ("एमआईबी") ने सभी निजी सैटेलाइट टेलीविजन चैनलों को 'ऑनलाइन गेम्स, फैंटेसी स्पोर्ट्स आदि पर विज्ञापन' के बारे में सलाह जारी की है, जिसमें सभी प्रसारकों को सलाह दी गई है कि वे भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (एएससीआई) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें और टेलीविजन पर प्रसारित विज्ञापनों में भी उसी का पालन करें। दिशा-निर्देशों में यह भी शामिल है कि हर गेमिंग विज्ञापन में प्रिंट/स्टेटिक मीडिया के साथ-साथ ऑडियो/वीडियो फॉर्म में एएससीआई कोड के अनुरूप अस्वीकरण होना चाहिए, जिसमें यह संकेत दिया गया हो कि इस गेम में वित्तीय जोखिम का तत्व शामिल है और यह लत बन सकता है। एमआईबी ने सट्टेबाजी और जुए के प्लेटफॉर्म के विज्ञापनों (सरोगेट सहित) पर रोक लगाने के लिए भी सलाह जारी की है।

****